न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या 40/2025

हरी सिंह बनाम भंवर सिंह व अन्य

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.2026	वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी पर उभय पक्ष को सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किए कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अनुवान का सिविल वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ग्राम झगड़वास की आबादी में प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 8 के पिता स्वर्गीय मदनलाल का खरीदसुदा, कब्जासुदा आवासीय प्लॉट आया हुवा है, जो प्लॉट प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 8 मदनलाल पुत्र भैरूदान ने दिनांक 09.10.1984 को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 2, 3 के दादा स्वर्गीय श्री फतेहसिंह पुत्र छगनसिंह, निवासी झगड़वास से कीमतन रू. 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये में खरीद किया था तथा विक्रेता फतेहसिंह द्वारा उक्त बेचान किये गये। प्लॉट की प्रतिफल की राशि प्राप्त कर दिनांक 09.10.1984 को बेचान दस्तावेज संख्या 75/1984 को उप पंजीयन कार्यालय डेगाना में प्रार्थी के पिता मदनलाल के पक्ष में पंजीबद्ध करवा दिया। उक्त बेचान दस्तावेज संख्या 75/1984 में पड़ौस भी विक्रेता फतेह सिंह ने अंकित करते हुवे बेचान दस्तावेज में विक्रय किये गये प्लॉट का नक्शा भी	

अंकित किया गया है, जिसके पड़ौस उतर में :– श्री प्रभूसिंह पुत्र अगरसिंह जी का मकान वा बाड़ा है, इस तरफ का नाप 46 + 54 खांचा से है कुल 100 फुट, दक्षिण :– आम रास्ता है, इस तरफ निकाल है, इस तरफ का नाप 82 फुट, पूर्व में :– आम रास्ता, जिसमें प्लॉट का निकाल भी है, इस तरफ का नाप 140 फुट तथा पश्चिम :– श्री भंवरू कुमार का खेत है, इस तरफ का नाप 94 फुट + 54 फुट (खांचा) है, कुल 148 फुट हैं। उपरोक्त पड़ौस व नाप बीच का प्लॉट जिसका नक्शा बेचान दस्तावेज के साथ सलंग्न किया हुवा है। उक्त प्लॉट प्रार्थी एंव तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय मदनलाल के खरीद किये जाने की दिनांक को ही कब्जा उक्त क्रेता मदनलाल को सौंप दिया गया है एवं मदनलाल जी का आज से करीब 15 वर्ष पूर्व निधन हो गया है व स्वर्गीय मदनलाल के निधन के पश्चात् उक्त स्वर्गीय मदनलाल के प्रथम श्रेणी के वारिसान प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण को उक्त प्लॉट उतराधिकार में प्राप्त हुवा तथा कब्जा प्लॉट भी उक्त प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का रहा एवं है प्रार्थी वर्तमान में वृद्ध हो गया है तथा अपने पुश्तैनी गांव झगड़वास में आकर रहना चाहता है व आज से 15 रोज पूर्व गांव आया तथा उक्त जमीन को समतल कर मकान इत्यादि हेतु निर्माण कार्य करवाने के लिये पत्थर इत्यादि डलवाये, तभी अप्रार्थीगण सभी उक्त प्लॉट पर आये तथा प्लॉट अपना होना बताते हुवे नाजायज तरीके से प्रार्थी को जबरन बेदखल करने व जबरन काबिज होकर उक्त प्लॉट में निर्माण इत्यादि कर लेने की धमकी दी, तब प्रार्थी ने गांव समाज के लोगों के सामने चर्चा की, तब गांव व समाज के लोगों ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को समझाया, तब अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 माने नहीं है एवं प्रार्थी को उक्त प्लॉट पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। सायल वृद्ध

व्यक्ति है तथा अपने उक्त पिताजी के खरीदसुदा प्लॉट में मकान बनाकर रहना चाहता है, लेकिन अप्रार्थीगण जबरन लाठी के जोर पर उक्त विवादित प्लॉट पर कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने की धमकिया दे रहे हैं एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं एवं नया निर्माण कार्य करने की धमकियां दी जा रही है, जिससे विवादित स्थल की आज की स्थिति रेकर्ड पर मंगवायी जानी न्यायोचित एवं न्यायहित मे हैं। वादग्रस्त स्थल का मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने पर किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने वाली नही है एवं न्यायालय हाजा को भी न्याय निर्णय करने में सुविधा होगी, जिससे विवादित स्थल का मौका निरीक्षण किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना न्यायोचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि विवादित स्थल का मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट मंगवाए जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जावे।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की नकल वकील अप्रार्थीगण को दिलाए जाने पर उन्होंने लिखित जवाब पेश नहीं करते हुए सीधे मौखिक बहस सुनाते हुए कथन किए कि प्रार्थना–पत्र गलत एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर पेश किया गया हैं। प्रार्थीगण मात्र साक्ष्य एकत्रित करने हेतु कमिश्नर नियुक्त करवाना चाहत हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया एवं उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि साक्ष्य एकत्रित करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता, परन्तु मौके की वास्तविक स्थिति बाबत् कमिश्नर नियुक्त करने को साक्ष्य एकत्रित करने की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, अपितु कमिश्नर की रिपोर्ट आने से प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण में

सहायता प्राप्त होगी। प्रकरण के तथ्यों के विशदीकरण के लिए तथा सरल तरीके से न्याय निर्णयन के लिए मौके पर निर्माण की स्थिति जरिये मौका कमिश्नर लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अधिवक्ता श्री राहुल कटारिया को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण के पक्षकारान को सूचित कर पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जे व स्वामित्व की साक्ष्य एकत्रित किये बिना विवादित स्थल के मौके की स्थिति दर्शाते हुए अपनी रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स आगामी पेशी से पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका कमिश्नर यह भी सुनिश्चित करे कि वह फोटोग्राफ्स में अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए फोटो लेवें व फोटोग्राफ में दिनांक व समय भी अंकित हो। खर्चा कमिश्नर प्रार्थीया द्वारा वहन किया जायेगा।

पत्रावली वास्ते देखने मौका कमिश्नर रिपोर्ट हेतु दिनांक 19.02.2026 तक पेश करे।